Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम सुन्दर गिरी

किस्म मुकदमाः– धारा अन्तर्गत 131,132 एलआरए

नं. मुकदमा... 256/ 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30 .08.2024	राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप – 6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2013/पार्ट, जयपुर दिनांक 10-08-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना मे चालु रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही हेतु तहसीलदार लूनकरनसर से रास्ते के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का महाजन के चक 16 एमकेडी के मु0नं0 161 / 37 के 11, 20, 21 मे प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव है। रास्ता को प्रस्तावित नजरी नक्शें के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते को खातेदारों की खातेदारी में ही रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर